2023/422

"प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2023"

प्रतिवेदन पटवारी हल्का- [illegible]

श्रीमान जी,

ग्राम नावलाई की जमाबंदी के खाता सं. 16,17 में कानाराम पुत्र लच्छू राम दर्ज किया है जबकि अन्य दस्तावेजों में कानाराम पुत्र लक्ष्मण दर्ज है।

अतः अन्य दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, प्रमाण पत्र आदि के आधार पर ग्राम नावलाई के खाता सं. 16,17 में कानाराम पुत्र लच्छू राम के स्थान पर कानाराम पुत्र लक्ष्मण किया जाना उचित है। रिपोर्ट सेवा में पेश है।

हस्ताक्षर पटवारी

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरिक्षक वृत:- [illegible]

श्रीमान जी

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर आधार कार्ड व वोटर कार्ड व पूर्व कार्यवाही की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नावलाई के खाता सं. 16,17 में कानाराम पुत्र लच्छूराम के बजाय कानाराम पुत्र लक्ष्मण दुरस्त किया जाना उचित है।

LR-18
29/05/23

29/5/2023
हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरिक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

श्रीमान जी

मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का एवं भू०अ०नि० जाँच के ग्राम नावलाई के खाता सं. 16,17 में खातेदार का नाम कानाराम पुत्र लच्छूराम अशुद्ध दर्ज है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खातेदार का नाम कानाराम पुत्र लक्ष्मण दुरस्त किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर तहसीलदार (भू०अ०)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

आदेश (शिविर स्थान:- [illegible], दिनांक:- 30/5/2023)

मुताबिक रिपोर्ट पटवार [illegible] संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार की अभिशंसा अनुसार ग्राम नावलाई के खाता सं. 16,17 में दर्ज कानाराम पुत्र लच्छूराम को कानाराम पुत्र लक्ष्मण दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.15 16:03:00 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर

शिविर प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर